आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची

एस0 ए0 आर0 रिविजन 322/1997

24/01/2022

बोदो पाहन बनाम् रमेश महतो

आदेश

प्रश्नगत् पुनरीक्षण अपर समाहर्ता, राँची के द्वारा अपीलवाद संख्या–68R15-1997-98 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत् वाद में अपीलार्थी लगातार अनुपस्थित रहे है, जबकि विपक्षी नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित रहे है। अपीलार्थी के स्तर से अंतिम हाजिरी वर्ष 2010 में दर्ज करायी गयी। वर्ष–2016 में उभय पक्षों को न्यायालय के स्तर से नोटिस निर्गत किया गया, जिसमें अपीलार्थी को प्रेषित नोटिस यह कहते हुये वापस कर दिया गया कि संबंधित द्वारा उक्त नोटिस प्राप्त करने से इनकार कर दिया गया। अपीलार्थियों के लगातार अनुपस्थिति के कारण दिनांक–13.10.2020 को न्यायालय द्वारा अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया गया। उक्त विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् भी अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुये जिस कारण दिनांक–16.02.2021 को एक पक्षीय सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गयी थी। लगातार मौका देने के बाद भी अपीलार्थी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुये। अंततः दिनाक–10.01.2022 को वाद की अंतिम सुनवाई करते हुये पुनः एक सप्ताह में उभय पक्षों को लिखित बहस दायर करने हेतु समय दिया गया। मात्र विपक्षी की तरफ से ही लिखित बहस प्रस्तुत की गयी। अंततः उपलब्ध कागजातों के आधार आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया।

प्रश्नगत् वाद में मूल भू–वापसी वाद संख्या–21/1986 खाता नम्बर–171, प्लॉट नम्बर–150, एरिया–6 डिसमिल, मौजा–सामलौंग की भूमि वापसी के लिये दायर किया गया था। विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा दिनांक–09.08.1988 को उक्त वाद में भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षियों की तरफ से अपर समाहर्ता के समक्ष अपील संख्या–78R-15-88-89 दायर की गयी। अपर समाहर्ता द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर समीक्षा करने हेतु वाद को विशेष पदाधिकारी के समक्ष पुनःप्रेषित किया गया। पुनः सुनवाई के पश्चात् विशेष पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत् भूमि को भूईहारी वकास्त पाहनई भूमि होने, बोड़ो पाहन के भुईहारदार के परिवार से नहीं होने एवं इसी भूमि से संबंधित आयुक्त

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	न्यायालय द्वारा 40/1979 वाद में पारित आदेश के आधार पर भू–वापसी का दावा खारिज कर दिया गया। पुनः बोड़ो पाहन द्वारा उपायुक्त, राँची के समक्ष अपील दायर की गयी, जिसे उपायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण दायर किया गया है। विपक्षियों का कथन है कि अपीलार्थी लगातार अनुपस्थित है तथा उनके द्वारा न्यायालय से प्रेषित नोटिस भी प्राप्त करने से इनकार किया गया है। प्रश्नगत् भूमि भूईहारी है, जिस पर धारा–71A के प्रावधान लागू नहीं होते है। आयुक्त न्यायालय द्वारा इसी भूमि के संबंध में वाद संख्या–40/1979 में अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है। अतः प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन पर विचार किये जाने का कोई आधार नहीं है। यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत् भूमि भूईहारी पहनाई भूमि है। अतः उक्त भूमि के हस्तांतरण हेतु धारा–71A के प्रावधान स्वतः लागू नहीं होते है। विशेष पदाधिकारी द्वारा एक विस्तृत आदेश के माध्यम से भू–वापसी के दावे को अस्वीकृत किया गया तथा प्रश्नगत् भूमि 1966–67 के पूर्व हस्तांतरण एवं निर्माण अवस्थित होने का भी स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया गया है। आवेदक के स्तर से प्रश्नगत् भूमि के हस्तांतरण के बिन्दु पर कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। आवेदक बोड़ो पाहन के मूल रैयत के वारिस होना भी संदेहास्पद है, जैसा कि निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध वंशावली से स्पष्ट होता है। ऐसे स्थिति में आवेदक को प्रश्नगत् भूमि से कोई सरोकार होना स्पष्ट नहीं है। इस न्यायालय द्वारा वर्ष–2016 में प्रेषित नोटिस को आवेदक के द्वारा लेने से इनकार कर दिया गया, जिसे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें प्रश्नगत् वाद में कोई अभिरूचि नहीं है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित आयुक्त। आयुक्त।	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.08.08 15:38:05 +05:30
Location: 192.168.1.40